



मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

फ़ॉक सं० 206

दिनांक 03.7.2021

समस्त छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिकाएं
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय:- जुलाई-अगस्त 2021 में सम्पन्न होने वाली परीक्षाओं के दौरान छात्रावास सुविधा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

दिनांक: 02.07.2021 को साय: 05:00 बजे माननीय कुलपति जी ने अपने कैम्प कार्यालय में प्रतिकुलपति, कुलसचिव, संकायाध्यक्ष विज्ञान, निदेशक एस०सी०आर०आई०टी०, अधोहस्ताक्षरी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता एवं कुलानुशासक से विचारोपरान्त जुलाई-अगस्त 2021 में सम्पन्न होने वाली विश्वविद्यालय परिसर के पाठ्यक्रमों की अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षाओं के दौरान पूर्व से आबंटित छात्र/छात्राओं को 07.07.2021 से छात्रावास सुविधा प्रदान करने के आदेश दिये हैं।

कॉविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत छात्रहित में निर्णय लिया गया है कि एक कक्ष में एक छात्र/छात्रा ही रखा जाए एवं कॉविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।

कृपया उक्तानुसार छात्रावास सुविधा (भोजन सहित) प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। छात्र/छात्राओं की परीक्षा समाप्ति के 03 दिन के अन्तर्गत उक्त छात्र/छात्राओं से छात्रावास खाली कराना होगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(प्रो० पी०के० शर्मा)
मुख्य छात्रावास अधीक्षक

प्रतिलिपि:-

01. सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. व्यक्तिगत सहायक प्रतिकुलपति को प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
03. व्यक्तिगत सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
04. छात्र कल्याण अधिष्ठाता को सूचनार्थ प्रेषित।
05. प्रोक्टर को सूचनार्थ प्रेषित।
06. विश्वविद्यालय वेबसाइट।
07. प्रेस प्रवक्ता

(प्रो० पी०के० शर्मा)
मुख्य छात्रावास अधीक्षक

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
परीक्षा अवधि में छात्रावास में निवास करने हेतु घोषणा पत्र

मैं (नाम) कक्षा विभाग.....
पूर्व में आबंटित/अनाबंटित छात्र/छात्रा घोषणा करता/करती हूँ कि दिनांक
से छात्रावास में रहकर अपनी सत्र 2020-21 अन्तिम
सेमेस्टर/वर्ष (जुलाई-अगस्त 2021) की परीक्षा देना चाहता/चाहती हूँ। मैं यह घोषणा
करता/करती हूँ कि मैं कोविड-19 से सम्बन्धित समस्त दिशा-निर्देशों का पालन
करूँगा/करूँगी। यदि मुझे छात्रावास में कोविड-19 संक्रमण का कोई भी लक्षण लगता है/का
संशय होता है तो तत्काल छात्रावास कार्यालय को सूचित करूँगा/करूँगी। मैं यह भी घोषणा
करता/करती हूँ कि मैं अपनी परीक्षा समाप्ति के विलम्बतम तीन दिन के अन्दर अपना निर्धारित
कक्ष खाली करके उसका अधिग्रहण छात्रावास कार्यालय को तत्काल सौंप दूँगा/दूँगी। अन्यथा
की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही
कर सकता है।

विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक
द्वारा अग्रसारित

छात्र/छात्रा का नाम-
कक्षा-
वर्ष-
विभाग:
छात्रावास:
स्थायी पता मोबाईल नं० सहित-.....
.....

छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका की टिप्पणी